राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

बेटी बचाओ
Save the girl Child

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/एच.एम/2014/ 976 दिनांक : 10-10-2014.

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.10.2014 को दोपहर 12.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार श्री दीपक उप्रेती की अध्यक्षता में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के निम्न माननीय सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक, राजगंज मण्डी, जिला कोटा।
2. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक, बांदीकुई, जिला दौसा।
3. श्रीमती अनिता भदेल, माननीय विधायक, अजमेर दक्षिण।
4. श्रीमान पी. सी. गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री सुवालाल, निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. श्री एच.एस. मीणा, अति0 निदेशक, आईसीडीएस एवं प्रतिनिधि अति0 मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. डॉ0 शम्भूदयाल शर्मा, सहायक निदेशक (आयुष) एवं प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. डॉ0 हरिओम नारायण शर्मा, निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
9. डॉ0 एस. एम. मित्तल, अतिरिक्त निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

बैठक में निम्न सम्मानित आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहेः–

1. राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाई माधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर **"बेटी बचाओं अभियान"** राजस्थान।
2. श्री बृजकिशोर गुप्ता, संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, राजस्थान जयपुर एवं सदस्य, राज्य समुचित प्राधिकारी।
3. डॉ0 अर्चना जौहरी, सचिव, राजस्थान मेडिकल कौन्सिल, जयपुर।
4. श्रीमती इन्दू गुप्ता, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), राजस्थान जयपुर।
5. श्री तरूण तोशनीवाल, अति0 राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), राजस्थान जयपुर।
6. श्री सुनिल थॉमस जैकब, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, युएनएफपीए।

सर्वप्रथम श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया एवं बैठक के उद्देश्य, पिछली राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णयो की अनुपालना एवं राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय ने राजस्थान राज्य तथा विभिन्न जिलो में सामान्य लिंगानुपात तथा 0–6 आयु वर्ग के लिंगानुपात के संबंध में आपसी संबंध के बारे में जानकारी दी तथा राजस्थान में इस बाबत चिंताजनक पहलुओ के बारे में सब को बताया।

बैठक में प्रत्येक एजेन्डा बिन्दु पर विस्तृत चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गयेः–

1. राज्य में वर्ष 2001 व वर्ष 2011 के बीच बाल लिगानुपात (0 से 6 वर्ष) में सिर्फ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ व जैसलमेर में ही सुधार हुआ है। इन जिलों की भांति अन्य जिलों में भी सभी विभाग व गैर सरकारी संगठनों से आपसी समन्वय स्थापित करके सुधार करने के सार्थक प्रयास किये जायें, हालांकि ये जिले पूर्व में ही काफी निचले स्तर पर जा चुके है।

2. हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये गजट अधिसूचना, यथा संशोधित फॉर्म एफ, एमबीबीएस डॉक्टर के लिये 6 माह का प्रशिक्षण तथा समुचित प्राधिकारियों के लिये आचार संहिता की पूर्णतया अनुपालना सुनिश्चित करवाई जायें।

3. उपखण्ड, जिला व राज्य स्तर पर समुचित प्राधिकारी एवं अधिकृत अधिकारियों की तरफ से किये जा रहे वर्तमान निरीक्षणों की संख्या बढाई जाये ताकि अधिनियम की समुचित पालना की जा सके। सदस्यो ने कम निरीक्षण करने वाले अधिकारियो को स्पष्टीकरण जारी करने हेतु बात कही।

4. सोनोग्राफी मशीनों व केन्द्रों का पुनः सर्वे व मैपिंग तृतीय पक्षकार से करवाई जाये तथा फर्जी चिकित्सको व संस्थानो के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये एवं फर्जी कम्पनी व दलाल जो सोनोग्राफी मशीन के क्रय–विक्रय में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावें।

5. समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाये एवं इनमे कतिपय कारणो से रिक्त पदों हेतु शीघ्र मनोनयन करके भरा जायें।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल याचिका संख्या 349/06 वोलेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 16.09.2014 को आदेशित निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जायें एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरणो की पैरवी प्रभावी ढंग से की जायें।

7. 3270/2012 डॉ0 एस के गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 16.09.2014 को पारित निर्णय की अनुपालना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों एवं समुचित प्राधिकारियों की कार्यशाला शीघ्र आयोजित की जाये।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविल याचिका संख्या 9009/14 डॉ0 महावीर प्रसाद गोयल बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2014 के अनुसार "एक सोनोलॉजिस्ट दो केन्द्रो पर ही कार्य करने के अधिकृत है" इसकी अनुपालना शीघ्र ही सुनिश्चित करावें।

9. भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर आम जनता द्वारा आसानी से की जा रही है। अतः इसका व्यापक प्रचार–प्रसार जन साधारण की जागृति हेतु किया जायें। यह एक अच्छा कदम है तथा सदस्यो ने इस तरह के कार्य को आवश्यक बताया।

10. मुखबिर योजना वर्तमान में दी जा रही इनाम राशि एक लाख रूपये को बढाकर दो लाख रुपये किया जाये तथा इस योजना की भी प्रभावी आईईसी की जाये। यदि राशि का भुगतान गुप्त रूप से वाणिज्य कर विभाग की भांति कर पाये तो ज्यादा बेहतर होगा, यह सुझाव भी आया।

11. आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एएनएम का "बेटी बचाओ अभियान" के तहत आमुखीकरण किया जाये तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक में "बेटी बचाओ" अभियान को एजेन्डा आईटम में रखा जाये।

12. डिकॉय ऑपरेशन तथा अन्य महत्वपूर्ण निरीक्षण व पीसीपीएनडीटी के परिवाद पर माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में पारित निर्णय का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु मीडिया कार्मिको की कार्यशाला आयोजित की जाये। कई समाचार पत्र अधिक कवरेज देते है तो कुछ कम। इसके बारे में अधिक प्रयास होना चाहिये।

13. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के ऑन लाइन रिर्पोटिंग व मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर **IMPACT,** प्रेग्नेंसी एण्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम **(PCTS)** तथा संस्थागत प्रसव में कन्या जन्म पर 7300/– तीन किस्तों में देने की शुभलक्ष्मी योजना की ऑन लाइन ई–शुभलक्ष्मी योजना का मॉनिटरिंग इन्टीग्रेशन करके इससे सकारात्मक परिणाम हासिल किया जाये। सदस्यो ने ई–शुभलक्ष्मी को एक अत्यन्त, सकारात्मक कार्यवाही बताया।

14. पीसीपीएनडीटी के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निरीक्षण हेतु गैर–सरकारी संगठनो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे तथा पडोसी राज्यो के समुचित प्राधिकारियो के साथ सामूहिक कार्यशाला आयोजित की जाये।

15. भावी दम्पति अर्थात युवा पीढी में बेटा–बेटी एक समान है, की भावना पैदा करने हेतु महाविद्यालयो में युवा विकास केन्द्र (YDC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेशनल केडेट कोर्पस् (NCC) तथा स्काउट गाइड जैसे संगठनों के माध्यम से निबंध, वाद–विवाद, भाषण, चित्रकला, मुटकोर्ट व संसद बहस जैसी प्रतियोगिता आयोजित की जाये।

16. धार्मिक एवं सामाजिक मेलो में "बेटी बचाओ अभियान" का सघन प्रचार–प्रसार जारी रखना सुनिश्चित करावे।

17. 14 नवम्बर, 2014 से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को "बेटी जन्म बधाई संदेश" का अभी से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। 7 संभागीय मुख्यालय के जिलो में बधाई संदेश का कार्यक्रम 11 अक्टूबर से शुरू किया जायेगा।

बैठक माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ सम्पन्न हुई।

निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, अध्यक्ष्य केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, भारत सरकार।

2. निजी सचिव, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (माननीय विधायक), रामगंज मंडी, कोटा, बी–13, एमएलए क्वार्टर जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर (माननीय विधायक) बांदीकुई, दौसा, 28, फ्रेंडस कॉलोनी, जनपथ, लालकोठी, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमती अनिता भदेल (माननीय विधायक), अजमेर दक्षिण, 3/1 विधायक नगर (पश्चिम)।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, महिला एवं बाल–विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाई माधोपुर, हाल निवास सिटी पैलेस जयपुर।
2. निजी सचिव, श्री सौरभ श्याम समशेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, भारत सरकार को याचिका संख्या 349/06 वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोशिएसन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ में दायर किये जाने वाले हल्फनामे में संलग्न कर प्रेषित कराने बाबत्।
3. निजी सहायक, निदेशक (पीएनडीटी), मंत्रालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, मिशन निदेशक (एनएचएम) एंव विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान बृज किशोर गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
7. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9. अति0 पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. सहायक निदेशक, आईईसी, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 (आईईसी) जयपुर।
11. प्रभारी डेमोग्राफी सेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी ,उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान एवं समस्त पीसीपीएनडीटी समन्वयको को भेजकर लेख है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. सलाहकार आईटी को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत्/सलाहकार आईईसी/स्वास्थ्य प्रबंधक/विधि विशेषज्ञ/इन्चार्ज पुलिस थाना पीबीआई एवं अपराध सहायक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ मुख्यालय, जयपुर।
15. सैन्ट्रल सर्वर रूम।
16. रक्षित पत्रावली

निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर